न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. सुखाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट
   निवासी चिताई तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उगमाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट
2. छोटुराम पुत्र किसनाराम जाति जाट
3. झुमर राम पुत्र सांवताराम
4. हरजीराम पुत्र सांवताराम
5. बाली देवी पत्नी सांवताराम
6. मोहनी पुत्री सांवताराम
7. सरजू पुत्री सांवताराम सभी जाति जाट
   निवासी चिताई तह. परबतसर
8. लिखमा पुत्र घीसाराम उर्फ गणेशाराम
   जाति जाट निवासी कुराड़ा
9. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गजराज चोहान अधिवक्ता वादी
मुकदमा नम्बर :– 2018/00149

निर्णय दिनांक :– 13.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम चिताई की राजस्व सीमा के खसरा नम्बर 185 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 3.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 2.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 280 रकबा 3.9800 हैक्टर जमीन व व ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 223 से लगायत 229 जमीन स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एक ही परिवार के है। उक्त जमीन वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 से 7 की पैतृक व खातेदारी सुदा जमीन है। उक्त जमीन पूर्व में वादी के दादा किसनाराम जी के सगे भाई बिरदाराम पुत्र रूपाराम के नाम दर्ज थी। जो कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के पिता सांवतारामजी के अकेले के नाम, वादी के पिता जेठारामजी तथा प्रतिवादी संख्याा 2 के बड़े भाई होने के कारण अकेले के नाम राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जेठारामजी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी उक्त जमीन पर कब्जा काश्त शुरू से ही प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के पिता पति के साथ चला आ रहा था। ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 223 से लगायत 229 की जमीनों मे वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है। जो वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित जमीनों की साथ की जमीने है। खसरा नम्बर 223

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

से [illegible] 229 की जमीनों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 में पिता का नाम ही खातेदारी दर्ज है। जबकि वादी के पिता जेठाराम जी का देहान्त वर्षो पूर्व हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नामान्तकरण इसलिए नहीं करवाया, क्योकिं वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित जमीन में भी खातेदारी दर्ज वादी एवं प्रतिवादी संख्याा 1 एवं 2 को करवानी थी। जो सभी जमीनों में खातेदारी व विरासत नामान्तकरण साथ–साथ करवाना था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 7 सहमत नहीं होने पर उक्त वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के पिता सांवताराम ने कृषि विधुत कनेक्शन हेतु प्रतिवादी सख्या 8 को लगभग एक बीघा जमीन का बैचान खसरा नम्बर 92/2 नया नम्बर 185 में किया था तथा खसरा नम्बर 181, 182, 186, 280 की जमीन में भी प्रतिवादी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पिता पति सांवताराम ने कृषि विधुत कनेक्शन हेतु बैचान किया था। जिसका नामान्तरण संख्या 358 व 370 के जरिये प्रतिवादी संख्या 8 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जेठाराम जी तथा प्रतिवादी संख्या 2 छोटुराम का कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पिता, पति सांवतारामजी के साथ में राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही वाद पत्र में पैरा संख्या 1 में वर्णित जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 के ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 185 में 1/2 हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/3 (प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के साथ प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा भी सम्मलित है) हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 178, 181, 182, 186, 280 की जमीन में अमरा पुत्र रामू का 11/24 हिस्सा छोड़कर अर्थात 36 बीघा जमीन छोड़कर शेष बची जमीन 43 बीघा जमीन में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्याा 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/3 (प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के साथ प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा भी सम्मलित है) हिस्सा की खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने की इस्तदुआ की है।

दावा वादी वकील द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई तो प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्ट्र डाक हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में लगाई गई। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा सुखाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश होने पर साक्ष्य बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में लगाई गई। बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई तो वादी वकील ने दौराने बहस दावे का समर्थन करते हुए दावा स्वीकार किया जाना जाहिर किया। वादी वकिल ने दावे के समर्थन में प्रदश 1 सुखाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदश 2 से प्रदश 8 ग्राम चिताई की जमाबन्दी एवं प्रदश 9 जमावंदी ग्राम चिताई सम्वत 2014–18 तथा 2022–25 बतौर सबूत पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी

हमने वकील वादी की बहस पर गौर किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का पर्यवेक्षण किया गया तो उपरोक्त जमीनें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पैतृक व खातेदारी शुदा जमीन है। जो पूर्व में वादी के दादा किशनाराम के सगे भाई बिरमाराम पुत्र रूपा राम के नाम दर्ज थी। जो कब्जे काश्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के पिता सांवताराम के अकेले के नाम वादी के पिता जेठारामजी प्रतिवादी संख्या 2 के बड़े भाई होने से अकेले के नाम राजस्व विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जेठाराम, प्रतिवादी संख्याा 2 का भी उक्त जमीन पर कब्जा प्रतिवादीगण 3 से 7 के पिता के साथ से चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी 1 के पिता जेठाराम तथा प्रतिवादीसंख्याा 2 छोटूराम का कब्जा काश्त व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पिता सांवताराम के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण 1 से 2 का उपरोक्त जमीनों पर हक व हिस्सा काबिज काश्तकार होने की वजह से व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा रजिस्टर्ड तामिल के होने से हाजिर अदालत होकर अपने हकों की पैरवी नहीं करने व प्रस्तुत दस्तावेजानुसार दावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण 3 से 8 डिक्री किया जाकर ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 185 में 1/2 में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्याा 3 से 8 का 1/3 हिस्सा व सम्पूर्ण जमीन में 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं इसी अनुसार रेकार्ड में अमलदारामद किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 178, 181, 182, 186, 280 की जमीन में अमरा राम पुत्र रामु का 11/24 हिस्सा छोड़कर शेष बची जमीन में वादी एवं प्रतिवादी संख्याा 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार रेकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिए जाते है एवं ग्राम चिताई के खसरा नम्बर 223 से 229 में जेठा पुत्र किशनाराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार रिकॉर्ड अमलदरामद करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)